संख्या-2/2026/547/26-2-2026/1714001

प्रेषक,

एस०पी० गोयल,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: 22 अप्रैल 2026

विषय- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराया जाना।

महोदया/महोदय,

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का सघन सत्यापन का कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में कराया जाना है। इसका उद्देश्य योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये पेंशनरों की पात्रता की जाँच कर यह सुनिश्चित करना है, कि वास्तव में लाभान्वित किए गए पेंशनरों के सापेक्ष कितने पेंशनर्स मृतक/अपात्र हैं।

2- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का सघन सत्यापन कराकर मृतक एवं अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बन्द करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय-समय पर भुगतान की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में Short Message Service (एस०एम०एस०) से सूचित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों के सत्यापन का उक्त कार्य दिनांक 10 जून, 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए।

3- उक्त कार्य हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है-

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित लाभार्थियों का डाटा जनपदवार/विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार तथा शहरी क्षेत्रों में जनपदवार/नगर पंचायतवार/वार्डवार जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध है।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार/शहर निकाय के वार्डवार लाभार्थियों का विवरण Excel Format में डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट आउट लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों के सत्यापन हेतु जिलाधिकारी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नामित उप जिलाधिकारियों या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त के साथ ही "फैमिली आई०डी० एक परिवार एक पहचान" योजनान्तर्गत राज्य नियोजन जनशक्ति प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, योजना भवन, लखनऊ द्वारा चिन्हित संदिग्ध पेंशनरों का सत्यापन कराने के साथ ही जिन पेंशनरों की फैमिली आई०डी० नहीं बनी है, उनकी फैमिली आई०डी० बनवाये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए।

समय सारिणी	
(क) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु खण्ड विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों हेतु उप जिलाधिकारियों या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद / नगर पंचायत को सत्यापन सूची उपलब्ध कराना।	25 अप्रैल, 2026
(ख) खण्ड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/नगर पंचायत द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से सत्यापन का कार्य पूर्ण कराना।	25 मई, 2026
(ग) खण्ड विकास अधिकारी / उप जिलाधिकारी या अधिशासी अधिकारी नगर परिषद / नगर पंचायत द्वारा हस्ताक्षरित सूची सहित सत्यापन रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना।	31 मई, 2026
(घ) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापन में मृतक /अपात्र पाये गये पेंशनरों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही करना।	10 जून, 2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- योजनान्तर्गत जाँच में कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सत्यापन का कार्य गहनता से न करते हुए पात्र एवं जीवित लाभार्थियों के नाम के सम्मुख मृतक/अपात्र अंकित कर दिया जाता है, जिससे जनमानस में विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अतः जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे, कि पात्र एवं जीवित लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य गहनतापूर्वक एवं गम्भीरतापूर्वक किया जाए। जीवित पेंशनर्स को मृतक /अपात्र दर्शाए जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5- उपर्युक्त कार्यवाही जनपद स्तर पर समय से सम्पन्न कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी उक्त कार्यक्रम के नोडल अधिकारी होंगे तथा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं मण्डल के मण्डलायुक्त समय-समय पर उक्त कार्य की प्रगति का सम्यक् अनुश्रवण करते हुए समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

6- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वृद्धजनों को उपलब्ध कराई जाने वाली पेंशन का सही एवं समय से वितरण सुनिश्चित कराना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

एस०पी० गोयल
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण उ0प्र0, लखनऊ।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान इकाई, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी उ0प्र0 को उक्त के क्रम में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को अपने मण्डल के अधीन जनपदों के उक्त कार्य की सघन समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु। (निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से।)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 को समयबद्ध कार्य पूर्ण कराने हेतु। (निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से।)
8. समस्त अनुभाग, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

10.

प्रमोद कुमार उपाध्याय
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।